न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
/13	दावा	21.06.2013	21.03.2018

1. सुशीला बेवा सिट्टू।
2. मनोज पुत्र सिट्टू ।

जातिगण मीना निवासी खिरखिड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. रूमाल पुत्र चौथ्या।
2. रामसिह पुत्र प्रभू।
3. रामकेश पुत्र चौथ्या।

जातिगण मीना निवासी खिरखिड़ा तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजाराम मीना एड0 वकील वादीगण।

श्री कुंजबिहारी शर्मा एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 49 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 09 बिस्वा, ख0नं0 281 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खिरखिड़ा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी की आराजी है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 15.06.2013 को प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात को लट्ठ के बल पर जोत कर कब्जा कर लिया है। वादीया बेवा औरत जात है इसका नाजायज फायदा उठाकर खातेदारी की आराजीयात को हड़पना चाहते है। वादीगण ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी खातेदारी की आराजीयात को आप लोगो ने क्यों जोता तो प्रतिवादीगण ने कहा कि इस आराजीयात को तो हम तुमसे लेकर ही रहेगें। तुम्हे इस जमीन मे घुसने नही देगें। यदि तुम लोग जमीन जोतने आये तो तुम्हे जान से खत्म कर देगें। प्रतिवादीगण लट्ठ वाले पैसे वाले सहजोर व्यक्ति है, इसलिए वादीगण की खातेदारी पर कब्जा करके वादीगण को भूमिहीन करना चाहते है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं0 49 को सिट्टू पुत्र जगन्या ने अपने जीवनकाल मे ही रूपनारायण पुत्र किलाण्या मीना निवासी खिरखिड़ा को दिनांक 07.07.86 को स्टॉम्प कीमतन 5 रूपये पर तहरीर विक्रय पत्र लिखकर गवाहान के समक्ष कब्जा व स्वामित्व संभलवा दिया। इसके पश्चात् मुझ प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त आराजी को 13 वर्ष पूर्व रूपनारायण को 28000/– रूपये उधार देकर रहन रख लिया तभी से उक्त विवादित भूमि पर मुझ प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा व स्वामित्व है। खसरा नं0 123 को मुझ प्रतिवादी नं0 1 के पिता के जीवनकाल मे ही आज से लगभग पचासों वर्ष पूर्व सिट्टू पुत्र जेक्या पुत्र गेंदया से विनिमय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से आज दिनांक तक मुझ प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नही है। आराजी खसरा नं0 243 रकबा 09 बिस्वा भूमि मुझ प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जिगन्या पुत्र गेंदया सिट्टू पुत्र जिगन्या मीना निवासी खिरखिड़ा से रोकड़ी रूपया 11500/– मे क्रय कर दिनांक 22.06.1987 को कब्जा स्वामित्व संभाल लिया था। वादीगण का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। आराजी खसरा नं0 281 रकबा 06 बिस्वा, जो कि कयशुदा भूमि है, पर भी मेरा कब्जा काश्त है। खसरा नं0 281 की लिखा पढी भी सिट्टू पुत्र जगन्या द्वारा की गई है। वादीया चतुर चालाक किस्म की महिला है जिसका सिट्टू की उक्त विवादित आराजीयात से दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई वास्ता नही रहा है। सिट्टू ने अपने जीवनकाल मे किसी भी महिला से विवाह नही किया है। सिट्टू लाऔलाद फोत हुआ है। सिट्टू के साथ वादीया का दाम्पत्य रिश्ता नही था, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया सिट्टू की पत्नि होना साबित कर पायी है। वादीया स्थायी रूप से ग्राम खिरखिड़ा मे निवास नही कर रही है। वादीया उक्त आराजी मे अपने जीवनकाल मे कभी भी नही गई है तथा ना ही वादीया

Scanned by CamScanner

ने उक्त आराजी पर कभी किसी प्रकार की काश्त की है। इसलिए दावा वादीया खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पांच तनकीयात कायम की गई। वकील वादीया ने साक्ष्य मे वादीया सुशीला पीडब्ल्यू–1 का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीया ने नकल जमाबंदी ग्राम खिरखिड़ा सम्वत् 2066–69 पेश की है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य मे प्रतिवादी सं0 1 रूमाल डीडब्ल्यू–1, प्रति0 सं0 2 डीडब्ल्यू–2 रामसिंह एवं गवाह कैलाश के शपथ पत्र पेश किये है प्रतिवादी सं0 1 व 2 से जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल तहरीर वयनामा दिनांक 22.6.87, नकल तहरीर वयनामा दिनांक 07.7.86, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बालोती, वोटर लिस्ट किता 2, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रतियां पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

1. **आया विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2066–69 विवादित आराजी वादीगण के नाम पर खातेदारी मे दर्ज है। अतः मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राईट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
2. **आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी पर कब्जा कर लिया है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे एवं साक्ष्य मे स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मे अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 49 को सिट्टू पुत्र जगन्या ने अपने जीवनकाल मे ही रूपनारायण पुत्र किलाण्या मीना निवासी खिरखिड़ा को दिनांक 7.7.86 को 5 रूपये के स्टॉम्प पर तहरीर लिखकर बेच दिया था तथा कब्जा केता को संभला दिया था, इसके पश्चात् प्रतिवादी नं0 1 ने 28000/– रूपये उधार देकर 13 वर्ष पूर्व उक्त खसरा नं0 की भूमि को रूपनारायण से लेकर रहन रख लिया था तभी से उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा है।

पत्रावली के सलंग्न तहरीर का अवलोकन किया गया। तहरीर मे कहीं पर भी बेचान की गई भूमि का खसरा नं0 अंकित नही है, पुनश्च 100 रूपये से अधिक की अचल सम्पत्ति का कोई भी विकय पत्र रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। 100 रूपये से अधिक की भूमि का अनरजिस्टर्ड विकय पत्र साक्ष्य मे ग्राहय नही है। प्रतिवादी नं0 1 ने 28000/– रूपये मे रूपनारायण से भूमि रहन रखने का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। उधार मे पैसे देकर किसी भी खातेदार की भूमि को रहन रखना कानून सम्मत नहीं है, इसलिए विवादित आराजी के सम्बन्ध मे प्रतिवादी नं0 1 की उपरोक्त दलीले स्वीकार नही है तथा विवादित आराजी खसरा नं0 49 पर प्रतिवादीगण का कब्जा विधि विरूद्व है।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाबदावे मे अंकित किया है कि उसके पिता ने विवादित आराजी ख0नं0 123 का विनिमय लगभग 50 वर्ष पूर्व सिट्टू पुत्र जगन्या से कर लिया था तथा तभी से आराजी विवादित प्रतिवादी के कब्जे काश्त मे है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाबदावे के समर्थन मे कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विनिमय का आदेश जारी करने की शक्ति तहसीलदार को है जिसका उल्लेख कहीं पर भी प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाबदावे मे नही किया है। इसलिए उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध मे प्रतिवादी नं0 1 की दलील स्वीकार योग्य नही है तथा विवादित आराजी खसरा नं0 123 पर कब्जा बनाये रखने का उनको कोई अधिकार नही है, अतः उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा काश्त विधि विरूद्व है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे मे अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 243 रकबा 09 बिस्वा प्रतिवादी नं0 2 ने जिगन्या पुत्र गेंदया सिट्टू पुत्र जिगन्या मीना निवासी खिरखिड़ा से 11500/– मे दिनांक 22.06.87 को जरिये स्टॉम्प तहरीर कय की है तथा इसी प्रकार विवादित आराजी खसरा नं0 281 रकबा 06 बिस्वा भी प्रतिवादी नं0 2 की कय शुदा भूमि है तथा कय कि दिनांक से ही उसका कब्जा काश्त उक्त दोनो खसरा नम्बरान की विवादित भूमि पर है। पत्रावली मे संलग्न तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमे कही पर भी बेचान की गई भूमि का खसरा नं0 अंकित नही है, पुनश्च 100/– से अधिक की अचल सम्पत्ति का विकय पत्र रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड विकय पत्र साक्ष्य मे ग्राहय नही है। अतः विवादित आराजीयात खसरा नं0 243 व 281 के सम्बन्ध मे प्रतिवादी नं0 2 की दलीले स्वीकार योग्य नही है। उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा

Scanned by CamScanner

बनाये रखने का प्रतिवादी नं0 2 को कोई अधिकार नही है, इसलिए विवादित आराजीयात खसरा नं0 243 व 281 पर प्रतिवादी नं0 2 का कब्जा काश्त विधि विरूद्व है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के वादीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कब्जा काश्त विधि विरूद्व है, इसलिए वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए यह तनक वादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

3. **आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी है?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड वादीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि से दखलंदाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

4. **आया वादीया सिट्टू की विवाहित पत्नि नही है तथा वादीया ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सिट्टू की विरासत का झूंठा नामान्तरकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम इन्द्राज करवाया है, इसलिए दावा वादीगण चलने योग्य नही है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीया सिट्टू की विवाहित पत्नि है या नही, वादीया ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर विरासत का झूंठा नामा0 खुलवाया है अथवा नही आदि विषयों पर निर्णय घोषणात्मक वाद मे किया जाना संभव होता है। उक्त वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 का है जिसमे उपरोक्त प्रश्नों पर निर्णय नही किया जा सकता है। यदि राजस्व रिकार्ड मे किसी भी खातेदार का नाम गलत तरीके से इन्द्राज किया गया हो तो प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय मे पृथक से वाद ला सकता है या नामान्तरकरण की अपील कर सकता है जिस पर सुनवाई के पश्चात् मैरिट पर निर्णय किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

5. **आया आराजी खसरा नं0 49 प्रतिवादी सं0 1 के गत 13 वर्षो से रहन है, खसरा नं0 123 पर प्रतिवादी सं0 1 के पिता के जीवनकाल से ही पचासों वर्ष पूर्व से ही जरिये विनिमय कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा खसरा नं0 243, 281 को प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये तहरीर कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है इसलिए दावा वादीगण कब्जे के अभाव मे खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। उक्त दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। बेदखली का दावा तभी किया जा सकता है जबकि दावा करने वाले व्यक्ति का विवादित भूमि पर कब्जा नही हो अर्थात ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का है जिनको कब्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। उक्त वाद मे प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा साबित है, वादीगण वाद पत्र मे प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का अनुतोष चाहते है, इसलिए कब्जे के अभाव मे वादीगण का दावा खाारिज नही किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के वादीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त विधि विरूद्व है। अतः दावा वादीगण के पक्ष मे डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि मे फसल काश्त करने मे किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner